



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर, (जोधपुर)
जिला - जोधपुर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/ अन्य पिछड़ा वर्ग /19196715059
दिनांक: 21-08-2019
जावेदक का आधार नम्बर:
जावेदक / परिवार के मुखिया का भामासाहा कार्ड संख्या :

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 श्री करण सिंह सोलंकी पुत्र/पत्नी श्री प्रताप सिंह सोलंकी राजस्थान राज्य के जिला जोधपुर पता - 409, विभिन्न कालोनी, कमला नेहरु नगर के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहां स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
- 02 उक्त श्री करण सिंह सोलंकी राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एच.टी./एस.जे.ई.टी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिसूचित व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 57 NAI (57 नाई) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त श्री करण सिंह सोलंकी आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के फिमिलियर संबंधी राज्य सरकार के सार्विक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के प्रादुर्गट्ट के अनुसार फिमिलियर (सम्बन्ध वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

- 1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./एस.जे.ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र क्रियोल्ट द्वारा उपर्युक्त कारणों से ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणावली के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा।
- 3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल जावेदक पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेजात जिले के सम्बन्धित प्रदेत अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में विवेक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- 4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। जहाँ, प्रार्थी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 190205525750
राज्य के पिछड़े वर्ग के श्रेणियों राजस्थान सरकार के अर्थात वेबसाई में निम्नलिखित पत्र पठें तथा राज्य की वेबसाई में सीटी से आरक्षण के प्रयोक्ता हैं।

उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर, जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by
SUMITRA PAREEK
Date: 2019.08.21 14:48:51
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan

